## राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 851वी बैठक दिनांक 16.05.2024 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 851 वीं बैठक दिनांक 16.05.2024 को श्री अरूण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम उपस्थित थे :–

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री संजीव सिंह, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–**

| क्र | प्रकरण क्र. | अधिसूचित श्रेणी | जिला | परियोजना | SEAC द्वारा अनुशंसित / परिवेश पोर्टल पर आवेदित | प्राधिकरण का निर्णय |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10680/2023 | 3 (a) | इंदौर | TPD M.S.Billets, TMT Bars & Rolled Product Manufacturing Unit | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | स्वीकृत |
| 2. | 8694 / 2021 | 1(a) | भोपाल | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | स्वीकृत |
| 3. | 8726 / 2021 | 1(a) | भोपाल | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | स्वीकृत |
| 4. | 10818 / 2023 | 1(a) | पन्ना | फर्शीपत्थर एवं एम.सेंड खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | स्वीकृत |
| 5. | 10442/2023 | 1(a) | बैतूल | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | स्पष्टीकरण |
| 6. | 8881 / 2021 | 1(a) | छतरपुर | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | Relist एवं पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित |
| 7. | 8883 / 2021 | 1(a) | छतरपुर | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | Relist एवं पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित |
| 8. | P2 / 01 / 2023 | 1(a) | खरगौन | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित |
| 9. | 10795/2023 | 1(a) | मन्दसौर | पत्थर, एम–सेण्ड एवं मुरम | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | स्वीकृत |
| 10. | 10803 / 2023 | 1(a) | मन्दसौर | पत्थर, एम–सेण्ड एवं मुरम | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | स्पष्टीकरण एवं Delist |
| 11. | P2/71/2024 | 1(a) | डिण्डोरी | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | स्वीकृत |
| 12. | 10380/2023 | 1(a) | दतिया | क्वार्टज व | पूर्व पर्यावरणीय | स्वीकृत |

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | फेल्सपार खदान | स्वीकृति में संशोधन | |
| 13. | P-2/64/2024 | 3 (b) | जबलपुर | Cement Industries | For ToR | ToR स्वीकृत |

1. **Case No 10680/2023** Prior Environment Clearance for establishmentof Manufacturing UnitProposed for production of 600 TPD i.e. 219000 MTPA M.S.Billets, TMT Bars & Rolled Product through Secondary Metallurgical Process at Plot No. 418, 419, 406, 407, 408, in Notified Industrial Area, Pithampur Industrial Area Sector 3 Dist. Dhar (MP) in an area of 3.4293 ha. By Shri Madhav Agarwal, Director, M/s Mudra Steel Industries Private Limited, 606, Fortune Ambience, South Tukoganj, District-Indore (MP)- 452001,.

    1. उक्त प्रकरण मेसर्स मुद्रा स्टील इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्लॉट नंबर 406, 407, 408, 418, 419,पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर 3, जिलाः धार, राज्यः मध्य प्रदेश (एम.पी.) में सेकेंडरी मेटलर्जिकल के माध्यम से 600 टीपीडी एम.एस.बिलेट्स, टीएमटी बार्स और रोल्ड उत्पादन हेतु प्लांट स्थापित करने के लिए पर्यावरण स्वीकृति का प्रकरण है।
    2. पर्यावरण और वन मंत्रालय (MoEF&CC) भारत सरकार की EIA अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं अधिसूचना में संशोधन 1 दिसंबर 2009 की अनुसूची में सूचीबद्ध परियोजनाओं/गतिविधियों को धातुकर्म परियोजनाओं के अंतर्गत औद्योगिक इकाई श्रेणी 3(ए) श्रेणी बी में वर्गीकृत किया गया है,और इस प्रकार के परियोजनाओं को राज्य स्तर पर पर्यावरण स्वीकृति हेतु SEIAA द्वारा विचार किया जाता है।
    3. मप्र औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (एमपीआईडीसीएल) एवं मुद्रा स्टील इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के बीच प्रस्तावित परियोजना के लिए प्लॉट नंबर 406, 407, 408, 418, 419, पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर 3, जिलाः धार, मध्य प्रदेश के 3.4293 हेक्टेयर लैंड हेतु दिनांक 10.10.2023 को 99 साल के लिए लीज डीड निष्पादित की गई है। लैंड पहले मेसर्स जयदीप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अधिग्रहण में था जिससे दिनांक 10/10/2023 को मुद्रा स्टील इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित किया गया है।
    4. SEAC की 697 वीं बैठक दिनांक 23.11.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा को SEIAA की 819वीं बैठक दिनांक 06.12.23 में मान्य करते हुए पत्र क्र 2232/SEIAA/2023 दिनांक 8.12.2023 एवं संशोधन पत्र क्र 2389/SEIAA/2023 दिनांक 27.12.2023 के माध्यम से ToR जारी किया गया था।
    5. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 747 वीं दिनांक 02.05.2024 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया गया,उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 88 से 97 तक अंकित है।
    6. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है : –

| Particulars | Details |
|---|---|

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

## राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 851वी बैठक दिनांक 16.05.2024 का कार्यवाही विवरण

| | |
|---|---|
| Proposal No. | **SIA/MP/IND1/463585/2023.** |
| Date of submission of application | 21.02.2024 |
| Date of Public Hearing | 07.02.2024 |
| Date of grant of ToR | 08.12.2023 and ToR amended 27.12.23 |
| Case Considered in SEAC meeting for EC | 736th SEAC meeting dated 03.04.2024 and 747 SEAC Meeting dated 02.05.24 |
| Location of the Project | Latitudes: 22°37'22.02"N - 22°37'26.31"N<br>Longitudes: 75°34'42.77"E - 75°34'52.86"E |
| Description of the project | This is case of Prior Environment Clearance for Proposed Construction of Proposed 600 TPD M.S.Billets, TMT Bars & Rolled Product Manufacturing Unit in an area of 3.4293 ha. (219000 MTPA) (Khasra No. F43J10), Village-Badgaon, Tehsil-Dhar, District-Dhar (MP) The project is categorized as category 3(a) Metallurgical industries (ferrous & non-ferrous). -B, activity. |
| Production capacity | Proposed 600 TPD M.S.Billets, TMTBars & Rolled Product Manufacturing Unit Through Secondary Metallurgical Process |
| Land Area | Total Land Area: 34,293 Sq. m.<br>Plot No.: 418,419 Area: 25000 sq.m.<br>Plot No. 406, 407, 408 Area: 9293 sq.m. |
| National Park / Wild life sanctuary / Biosphere reserve / Tiger Reserve / Elephant Corridor / migratory routes for Birds | No within 10 Km. Radius. |
| Railway Station:<br>Nearest Airport: | Railway Station –Ambedkar Nagar Mhow Station (about 20.71 km).<br>Airport –Devi Ahilyabai Holkar International Airport, Indore (26.22 km) |
| Nearest Forests | Betma RF ;6.42km, E |
| Nearest water bodies | Bagdun talab: 1.47 Km, N Direction |

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

| | |
|---|---|
| | • Sulawad Lake: 1.67 Km, W Direction<br>• Sanjay Jalashay: 9.73 Km ESE Direction<br>• Kishan Pura Talab: 8.57 Km, NE Direction |
| Total Water Consumption | The total water requirement for the proposed project is estimated to be 620 KLD. Out of which 85% of the industrial waste water will be recycled. Therefore, the fresh water requirement will be 100 KLD only. |
| Source of Water Supply | Water requirement for the proposed plant will be met through MPIDC Water SupplyVide Letter No. MPIDC/ROInd/Tech23/12287 dated 31.10.2023 have agreed to Supply 1 lac Liter/ day i.e. 100 KLD |
| Waste Water Generation | There will not be any impact on the water quality as the wastewater generated from cooling and scrubbing process will be reused in the process. Domestic Effluent Generation is 12 KLD will be treated in STP of 15 KLD will be installed for treatment of sewage water and treated water will be utilized for toilet flushing and gardening hence the unit will be a zero discharge unit. |
| RAW MATERIALS | Coal will be sourced from Singrauli Coal Fields areas and other mines. |
| Power Requirement | Total power requirement for the proposed project will be about 25 MW. This would be met from State Grid power supply system. D G Set (300 kVA x 2 nos.) will be set up for Stand by purpose and will be used only in case of breakdowns. |
| RWH | Proposed to construct 4 nos. of Rainwater harvesting pits to recharge the run-off water from roof tops by laying a separate storm water drainage system for recharging of ground water within the plant premises. |
| Solid & hazardous waste management | Proposed quantity of Furnace Slag& from Rolling Mill produced during process which shall be managed through installed iron recovery unit from slag and the recovered iron is being used with scrap to charge in induction furnace. The remaining part is being used for civil work & bricks manufacturing after TCLD test and approval from the MP Pollution Control Board.<br>The hazardous waste is being disposed through the MPPCB approved /authorized recyclers/Pre-processors/TSDF site. |
| Green belt (sq.m) | Green belt shall be developed in the 33% area (11367.55 SQM) (wherein 4018 plants) area with a native tree species |

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

| | |
|---|---|
| | in accordance with CPCB guidelines. |
| Estimated Project Cost | 4950 Lakhs. |
| CER Cost | Project Capital Investment = INR 49.50 Crore<br>CER Budget @2.5 % of project capital investment = INR 1.24 Crore i.e. 124 lakhs proposed for different activities |
| EMP Cost | PP has proposed EMP, Rs. 322.8 Lakh as capital cost for the project and Rs. 68.32 Lakh /year has proposed as recurring expenses. |
| Public Hearing | Public Hearing for the proposed project was conducted on 7.2.2024 at Plot Nos.418, 419, 406, 407, 408, Pithampur Industrial Area Sector 3, Dhar District, Madhya Pradesh by Madhya Pradesh Pollution Control, Board under the chairmanship of Additional District Magistrate, Dhar |
| **Documents submitted by PP** | |
| Water Supply | PP Apply Letter No. Nil date 13/10/2023. |
| Landownership | Deed MPIDC, Indore date 10/10/2023Registration |
| Envt. Consultant Authorization | affidavit submitted |
| Declaration | No Construction/production Activity started at site affidavit submitted |
| CER Budget approval | CA certificate and CER details |

SEAC की 747 वीं बैठक दिनांक 02.05.2024 के कार्यवाही विवरण में त्रुटिवश प्रोजेक्ट शीर्षक में एक्सपेंशन अंकित हो गया है, जिसे परिवेश पर प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर संशोधित किया जाता है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 736 वींबैठकदिनांक 03.04.2024की अनुशंसा एवं अधिरोपित विशिष्ट शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा सर्वसम्मति से मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित बिंदु i से Vi अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट –1 प्राधिकरण की 840 वीं बैठक दिनांक 28.03.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों) के साथ परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

i- परियोजना स्थल पर पूर्व में निर्मित संरचना (old structure) का पूर्ण रूप से demolish करने उपरांत ही नया निर्माण किया जाना सुनिश्चित करें।

ii- किसी भी परिस्थिति में परियोजना स्थल पर मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जाना चाहिए , यदि आवश्यकता पड़े तो वृक्षों को प्रत्यारोपित किया जाना सुनिश्चित करें करें।

iii- ग्राउंड वाटर पर निर्भरता कम करने हेतु परियोजना हेतु पानी की आवश्यकता की पूर्ति अनुबंध अनुसार MPIDC से की जाना सुनिश्चित करें।

iv- Solid/Hazardous waste के निपटान के लिए संबंधित विभाग से वैध सदस्यता प्राप्त करें और उसकी प्रति अनुपालन प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करें।

v- ओल्ड स्ट्रक्चर के demolish उपरांत उत्पन्न waste को Construction and Demolition Waste Management Rules 2016 के अनुसार निष्पादित करें।

vi- उद्योग से उत्पन्न Waste Heat का अधिकतम पुर्नउपयोग उद्योग में ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

vii- परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये 30% गैर पांरपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एव CO2 उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप में किये जाये।

2. **प्रकरण क्र. 8694/2021 श्रीमती पारस डागा पत्नि श्री विजय डागा, निवासी मकान नं. 26, मारवाड़ी रोड़, बैंक ऑफ इंडिया के सामने, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 239 भाग, ग्राम मालीखेड़ी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 625 वी बैठक दिनांक 01.03.2023 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट– बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में 802 वी बैठक दिनांक 24.08.2023 पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

*भोपाल जिले के मालीखेड़ी क्षेत्र में वृहद स्तर पर अवैध उत्खनन के संबंध में दैनिक भास्कर समाचार पत्र दिनांक 25.11.2021 एवं 26.11.2021 में समाचार प्रकाशित हुए है। उक्त प्रकरण भी मालीखेड़ी क्षेत्र में स्वीकृत खदान की पर्यावरण स्वीकृति से संबंधित है। अतः कलेक्टर जिला भोपाल से 15 दिवस में स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये कि इस क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जा सकती है अथवा नहीं है। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।*

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

## राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 851वी बैठक दिनांक 16.05.2024 का कार्यवाही विवरण

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 26.04.2024 के माध्यम से कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) भोपाल का पत्र क्र. 194 दिनांक 06.02.2024 के माध्यम से स्पष्ट अभिमत प्रस्तुत कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 625 वी बैठक दिनांक 01.03.2023 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल का पत्र क्र. 15752 दिनांक 26.12.2020 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक 25.12.2030 तक वैध मान्य रहेगी।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

III. क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell क गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

| (संजीव सिंह) | (अनिल कुमार शर्मा) | (अरूण कुमार भट्ट) |
|---|---|---|
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

VIII. परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

3. प्रकरण क्र 8726/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री संदीप सूद आत्मज स्वा श्री सत्यपाल सूद निवासी माकान न. 37– रोहित नगर फेज न. 1 बावडियाकलॉ जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा पत्थर, खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 3040 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, (SEAC द्वारा अनुसंशित रकवा 0.25 हे.) खसरा 267, 270 ग्राम मालीखेड़ी तहसील हुजूर जिला भोपाल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 637वी बैठक दिनांक 17.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

*राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–*

*भोपाल जिले के मालीखेड़ी क्षेत्र में वृहद स्तर पर अवैध उत्खनन के संबंध में दैनिक भास्कर समाचार पत्र दिनांक 25.11.2021 एवं 26.11.2021 में समाचार प्रकाशित हुए है। उक्त प्रकरण भी मालीखेड़ी क्षेत्र में स्वीकृत खदान की पर्यावरण स्वीकृति से संबंधित है। अतः कलेक्टर जिला भोपाल से 15 दिवस में स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये कि इस क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जा सकती है अथवा नहीं है। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।*

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

## राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 851वी बैठक दिनांक 16.05.2024 का कार्यवाही विवरण

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 11.05.2024 के माध्यम से कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) भोपाल का पत्र क्र. 199 दिनांक 06.02.2024 के माध्यम से स्पष्ट अभिमत प्रस्तुत कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 637 वी बैठक दिनांक 17.04.2023 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों-(परिशिष्ट–2 सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) भोपाल का पत्र क्र. 1739 दिनांक 27.05.2018 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक 26.05.2028 तक वैध मान्य रहेगी।

II. भोपाल जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन हेतु आवंटित कुल 1.0 हे. मे से SEAC द्वारा अनुशंसित खनन् योग्य क्षेत्र 0.25 हे. क्षेत्र मे ही उत्खनन कार्य किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

V. क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell क गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर **Cluster EMP**, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

X. परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

4. प्रकरण क्र. 10818/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स जय मॉ शारदा ट्रेडर्स, प्रो. श्री विकास नारायण, निवासी– ग्राम रीठी, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा फर्शीपत्थर एवं एम.सेंड खदान, (ओपेनकास्ट मैकनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता फर्शीपत्थर 1400 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम.सेण्ड 3000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 3838, ग्रम अतरहाई, तहसील शाहनगर, जिला पन्ना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

## राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 851वी बैठक दिनांक 16.05.2024 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 710वी बैठक दिनांक 04.01.2024 एवं 728वी बैठक दिनांक 05.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

*परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला पन्ना के एकल प्रमाण–पत्र कमांक 373 दिनांक 29/02/24 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में कुल 03 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, को परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त एकल प्रमाण पत्र परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन ADS के माध्यम से अपलोड किया जाये। तबतक प्रकरण Delist किया जाता है। अतः सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।*

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 01.05.2024 के माध्यम से प्रकरण में जानकारी प्रस्तुत कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 710वी बैठक दिनांक 04.01.2024 एवं 728वी बैठक दिनांक 05.01.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पन्ना का पत्र क्र. 1522 दिनांक 28.10.2022 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 27.10.2032 तक वैध मान्य रहेगी।

II. पन्ना जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

IV. परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

5. प्रकरण क्र. 10442/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स माईना अभभूते, निवासी ग्राम – नाहईया, तहसील बैतूल जिला बैतूल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 11,191 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 51, ग्राम – नाहईया, तहसील व जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 723वी बैठक दिनांक 16.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 843वी बैठक दिनांक 05.04.2024 को प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

*परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र पूर्व से खुदा हुआ है, लीज क्षेत्र में केशर इकाई स्थापित है एवं लीज के समीप कटूर ट्रेन्चेज परिलक्षित है। अतः उपरोक्त पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ दस्तावेज सहित प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु उपस्थिती सुनिश्चित करें। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।*

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 01.05.2024 के माध्यम से प्रकरण में स्पष्टीकरण हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत होने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रकरण में पाया गया कि स्पष्टीकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक व उनके अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ उपस्थित नहीं हुए। अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त दृष्टिगत स्पष्टीकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ आगामी SEIAA बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होंवे। तबतक प्रकरण को यथावत Delist रखा जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

6. प्रकरण क्र. 8881/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री अमित कुमार राजपूत, आत्मज श्री रामेश्वर राजपूत निवासी वार्ड नं. 40, सीताराम कॉलोनी, जिला छतरपुर (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 35000 घन.मी. प्रतिवर्ष, रकबा 4.708 हेक्टेयर, खसरा 189/1 ग्राम गंजसिजारी, तहसील बिजावर, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 821वी बैठक दिनांक 14.12.2023 को प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

*राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 693वीं बैठक दिनांक 20.10.2023 में उक्त प्रकरण में* ***निम्नानुसार निर्णय लिया गया.....***

*प्रकरण सेक की 693वीं बैठक दिनांक 20/10/2023 सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुऐ। प्रकरण पुनः 680वीं बैठक दिनांक 15/09/23 को सूचीबद्ध किया गया किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय*

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

*लिया कि परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु 02 अवसर देने के बाद भी प्रस्तुतीकरण हेतु अनुपस्थित नहीं रहने के कारण डिलिस्ट करने की अनुशंसा की जावे।*

***राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 693वीं बैठक दिनांक 20.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण को Delist किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।***

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईमेल दिनांक 06.05.2024 के माध्यम से प्रकरण को **Relist** किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्वसंमति से यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण को *Relist* किया जाये कर पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

7. प्रकरण क्र. 8883/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री हिरदेश पाठक, निवासी –ग्राम हामा, पोस्ट निवाड़ी, जिला छतरपुर (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर– 1,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 6.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 189/1, ग्राम गंजसिजारी तहसील बिजावर, जिला छतरपुर (म0प्र0) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा 817वी बैठक दिनांक 10.11.2023 को प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

*राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 692वीं बैठक दिनांक 19.10.2023 में उक्त प्रकरण में* ***निम्नानुसार निर्णय लिया गया.....***

*.....प्रकरण सेक की 692वीं बैठक दिनांक 19/10/2023 एवं 678 वीं बैठक दिनांक 13/09/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु 02 अवसर देने के बाद भी प्रस्तुतीकरण हेतु अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण को डिलिस्ट करने की अनुशंसा के साथ सिया को प्रेषित किया जावे ।*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं **SEAC** की 692वीं बैठक दिनांक 19.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण को **Delist** किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईमेल दिनांक 06.05.2024 के माध्यम से प्रकरण को **Relist** किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण को **Relist** कर **SEAC** को परीक्षण हेतु अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

8. प्रकरण क्र. P2/01/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री सतीश जायसवाल आत्मज श्री नंदकिशोर जायसवाल, निवासी–136, तिलक पाथ, पीपल अवार के पास, जिला खरगौन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 14550 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.50

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**हेक्टेयर, खसरा 486 पैकी, ग्रम सुरपाला, तहसील खरगौन, जिला खरगौन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 722वी बैठक दिनांक 15.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 840वी बैठक दिनांक 27.03.2024 को प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–**

*राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–*

***परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र का बैरियर जोन तथा बैरियर जोन के आगे भी खुदा हुआ परिलक्षित है जिससे प्रतीत होता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन किया गया है। अतः कलेक्टर खरगौन से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत लीज एरिया के बाहर कितना खनन किया गया है और बिना अनुमति अवैध उत्खनन किये जाने के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा नियमानुसार स्वीकृत लीज एरिया के चारो ओर 7.5 मीटर का बैरियर जोन छोड़ा जाना था लेकिन इस प्रकरण में बैरियर जोन में भी खुदाई की गई है जो नियमानुसार उचित नहीं है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज एरिया में की गई खुदाई को रि–स्टोर कर पुनः पूर्व स्थिति में लाया जाये एवं फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश के शीघ्र प्रस्तुत किये जायें। खुदे हुए बैरियर जोन के संबंध में यदि संबंधित विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई है तो उसका विवरण भी प्रस्तुत किया जाये।***

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 07.05.2024 के माध्यम से उपरोक्त चाही गई जानकारी के संबंध में अपना स्पष्टीकरण मय दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

**उक्त प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा चाही गई उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत न करते हुए उक्त जानकारी के संबंध में खनिज विभाग की DGPS सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्वसंमति से यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण में प्राप्त जानकारी के परीक्षण हेतु प्रकरण SEAC को अनुशंसा हेतु अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।**

9. **प्रकरण क्र. 10795/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री रमेश माली, निवासी मकान सीआर. 104, वार्ड 02, हनुमान मंदिर के पास, दलोदारेल, जिला मन्दसौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर, एम– सेण्ड एवं मुरम खदान उत्पादन क्षमता (पत्थर 2100, एम–सेण्ड 5250, मुरम – 1400 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा 1355/1, ग्राम धुंधारका, तहसील मन्दसौर, जिला मन्दसौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 723वी बैठक दिनांक 16.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 843वी बैठक दिनांक 09.04.2024 को प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–**

| (संजीव सिंह) | (अनिल कुमार शर्मा) | (अरूण कुमार भट्ट) |
|---|---|---|
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

*कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण–पत्र कमांक 1590 दिनांक 04/09/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, जबकी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान के 500 मी. की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होना परिलक्षित है, जिससे कारण प्रस्तावित खदान को मिलाकर कुल रकबा 5 हे. से अधिक होना परिलक्षित है। अतः कलेक्टर जिला मंदसौर से प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में संचालित/स्वीकृत खदानो की स्पष्ट जानकारी प्राप्त की जाये। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।*

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 08.05.2024 के माध्यम से प्रकरण में जानकारी प्रस्तुत कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 728वी बैठक दिनांक 05.03.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) मंदसौर का पत्र क्र. 568 दिनांक 21.03.2023 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 20.03.2033 तक वैध मान्य रहेगी।

II. मंदसौर जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

IV. परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

10. प्रकरण क्र. 10803/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री पंकज जैन, निवासी मकान नं. 930, वार्ड सदर बाजार, सुवासरा जिला मन्दसौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर, एम– सेण्ड एवं मुरम खदान उत्पादन क्षमता

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**(पत्थर 5940, एम–सेण्ड 15190,घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा 80, ग्राम अंतरालिया, तहसील सुवासरा, जिला मन्दसौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 723वी बैठक दिनांक 16.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 843वी बैठक दिनांक 05.04.2024 को प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–**

*कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1767 दिनांक 27/09/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/ स्वीकृत है, जबकी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान के 500 मी. की परिधि में 03 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होना परिलक्षित है जिस कारण प्रस्तावित खदान को मिलाकर कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होना प्रतीत होता है साथ ही लीज क्षेत्र में कंटूर ट्रेन्चेज होना भी परिलक्षित है। अतः उपरोक्त के संबंध में कलेक्टर जिला मंदसौर से स्पष्ट जानकारी/अभिमत प्राप्त की जाये। साथ ही परियोजना प्रस्तावक से ग्राम पंचायत के ठहराव प्रस्ताव के पंजीयन रजिस्टर की प्रति भी प्राप्त की जाये। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।*

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 07.05.2024 के माध्यम से उपरोक्त चाही गई जानकारी प्रस्तुत कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

**उक्त प्रकरण में प्रस्तुत जानकारी के परीक्षण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रदाय की गई जानकारी पूर्ण नही पायी गई कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के पत्र क्र. 408 दिनांक 29.04.2024 के माध्यम से मात्र 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों की जानकारी प्रदाय की गई है एवं खदान क्षेत्र में स्थित कंटूर ट्रेंचेस के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि कलेक्टर जिला मंदसौर से उपरोक्त पूर्ण जानकारी प्राप्त की जाये। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।**

11. **प्रकरण क्र. P2/71/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स हिलवेज कंस्ट्रक्शन कॉ. प्रा. लि. श्री श्याम बंजारा, निवासी– मुनी की रेठी, सी–1, धलवाला टेहरी, गढ़वाल (उत्तराखण्ड) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (अनुमोदित खनन योजना अनुसार), रकबा 1.30 हेक्टेयर, खसरा 574, ग्राम किसलपुरी, तहसील डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 731वी बैठक दिनांक 19.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 845वी बैठक दिनांक 24.04.2024 को प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–**

*परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर आवेदित पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन श्री श्याम बंजारा के नाम से है जबकि आवेदक के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज एवं लीज स्वीकृति आदेश मेसर्स हिलवेश कंस्ट्रक्शन कम्पनी*

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

*प्रा.लि. के नाम से है तथा हिलवेस कम्पनी का ऐसा कोई भी दस्तावेज परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं है जिसमें उल्लेख हो कि उक्त पर्यावरण स्वीकृति श्री श्याम बंजारा के नाम से प्रदान की जाये। अतः परियोजना प्रस्तावक मेसर्स हिलवेस कम्पनी का अभिप्रमाणीकरण अपलोड करें कि जिसमें उल्लेख हो कि उक्त पर्यावरण स्वीकृति श्री श्याम बंजारा के नाम से प्रदान की जाये। तबतक प्रकरण Delist किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।*

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 09.05.2024 के माध्यम से प्रकरण में जानकारी प्रस्तुत कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 723वी बैठक दिनांक 16.02.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) डिण्डौरी का पत्र क्र. 537 दिनांक 06.12.2023 के माध्यम से निर्माण कार्यअवधि की अस्थाई अनुज्ञा की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है एवं संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल द्वारा अनुमोदित खनन योजना दिनांक 10.01.2024 अनुसार 02 वर्ष के लिये अनुमोदित की गई। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 05.12.2025 तक वैध मान्य रहेगी।

II. डिण्डौरी जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। (माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

| (संजीव सिंह) | (अनिल कुमार शर्मा) | (अरूण कुमार भट्ट) |
|---|---|---|
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

V. परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

12. प्रकरण क्र. **10380/2023** परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दृष्टि माईनिंग, श्री अनिल गुप्ता, निवासी ई–7/626, अरेरा कालोनी, आर.एस. नगर, हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र) द्वारा क्वार्टज व फेल्सपार खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 95000 टन प्रतिवर्ष, रकबा 6.475 हे., खसरा 210, 211, 212, 213, 214, 222, ग्राम – सबदलपुर, तहसील – दतिया, जिला दतिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 845 वी बैठक दिनांक 24.04.2024 में प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) दतिया के क्र. ..... दिनांक ..... के माध्यम से प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में अधिरोपित विशिष्ट शर्त क्र. 2 अनुसार *" ..... कच्ची सडक से न्यूनतम 50 मीटर एवं गूगल ईमेज पर परिलक्षित धार्मिक स्थल से न्यूनतम 50 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।* के संबंध में बताया गया कि उक्त लीज क्षेत्र में कोई बड़ा धार्मिक स्थल नहीं है सिर्फ एक छोटा चबूतरा स्थापित है, जिसे भविष्य में अन्य स्थान पर विस्थापित किया जायेगा।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण मे अधिरोपित विशिष्ट शर्त क्र. 2 अनुसार *" कच्ची सडक से न्यूनतम 50 मीटर एवं गूगल ईमेज पर परिलक्षित धार्मिक स्थल से न्यूनतम 50 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।* के स्थान पर मात्र *कच्ची सडक से न्यूनतम 50 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा* पठन किये जाने का संशोधन किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

13. **Case No P-2/64/2024:** Prior Environment Clearance for Expansion in Clinker Grinding Unit from 500 TPD to 3500 TPD, at Khasara no 297/1, 297/2, 298/2, 300/1, 300/2, 301/1, 301/2, 302, 303, 320, 298/1, 299, 321 Village- Joghdhana, Tehsil Bargi Dist Jabalpur (M.P.)by JABALPUR CEMENT INDUSTRIES PRIVATE LIMITED, 438, Opp. Petrol Pump, Krishi Upaj Mandi - Jabalpur, Distt. - JABALPUR (M.P.). 482002. (IND1/453551/2024) Env. ConsultantShri Umesh Mishra, M/s Creative Enviro Services, Bhopal (M.P.).ToR.

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

## राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 851वी बैठक दिनांक 16.05.2024 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 731 वीं बैठक दिनांक 19.03.2024 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।जिसका विवरण उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के पृ.क्र. 20 से 23 पर अंकित है।

**प्रकरण पर 844 SEIAA बैठक दिनांक 23.04.24 में विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–**

*"राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–*

*उक्त प्रकरण में वर्तमान तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता विस्तार किये जाने के संबंध में सम्पूर्ण विवरण तथा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन एवं स्थल पर निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति की जानकारी सहित परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण के सलाहकार के साथ प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होवें।"*

उपरोक्त निर्देश के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईमेल से दिनांक 29.04.24को जानकारी प्राप्त हुई है, एवं प्राधिकरण से बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु अनुमति चाही गई ।

प्राधिकरण के अनुमति अनुसार श्री उमेश मिश्रा पर्यावरण सलाहकार मेसर्स क्रिएटिव एनवायरो भोपाल मप्र आज प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित हुए। प्रकरण में वर्तमान तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता विस्तार किये जाने के संबंध में सम्पूर्ण विवरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये। पर्यावरण सलाहकार द्वारा अनुरोध किया गया कि पूर्व में MPSEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृत का अनुपालन प्रतिवेदन EIA रिपोर्ट के सबमिशन के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो एवं मानक शर्तोंके साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। अतिरिक्त शर्ते निम्नानुसार है :–

1. रीजनल ऑफिस MoEF & CC द्वारा सर्टिफाइड कंप्लायंस रिपोर्ट एवं निरिक्षण के दौरान दिए गए निर्देशों का अनुपालन EIA रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
2. परियोजना के विस्तार हेतु यदि अतिरिक्त लैंड की आवश्यकता है, तो लैंड का विवरण एवं सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें।
3. परियोजना के विस्तार यदि मौजूदा लैंड में ही हो रहा है तो प्रस्तावित एरिया के साथ परियोजना विस्तार का विवरण प्रस्तुत करें।
4. प्रस्तावित इकाई के चारों ओर स्थापित अन्य इकाईयों का विवरण एवं प्रस्तावित इकाई के कियाकलापों से इन स्थापित इकाईयों पर पडने वाले प्रभावों का आकलन का भी अध्ययन किया जावे एवं इसके निष्कर्षों की जानकारी पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) प्रतिवेदन में प्रस्तुत किये जावे। साथ ही स्थापित इकाईयों पर पडने वाले प्रतिकूल प्रभावों के शमन हेतु शमन योजना भी प्रस्तावित कर प्रस्तुत की जाये।
5. प्रस्तावित इकाई से उत्सर्जित ठोस अपशिष्ट का पूर्ण उपयोग एवं निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु उपायों का उल्लेख पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) प्रतिवेदन में करे ।

| (संजीव सिंह) | (अनिल कुमार शर्मा) | (अरूण कुमार भट्ट) |
|---|---|---|
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

6. ग्लोबल वार्मिंग क्षमता और औद्योगिक गतिविधियों से कार्बन फुटप्रिंट और इसकी कमी के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) में प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ चर्चा की जानी चाहिए।

7. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये गैर पांरपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एव CO2 उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप में किये जाने हेतु पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) में चर्चा की जानी चाहिए।

8. जनसुनवाई करवाकर पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) प्रतिवेदन में जनसुनवाई के दौरान प्राप्त मुद्दों का निराकरण प्रस्तुत किया जावे।

9. प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र का इंजीनियरिंग ले आउट प्लान पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) प्रतिवेदन में शामिल करते हुये यह सुनिश्चित किया जाये कि उसमें प्रस्तावित इकाई के समस्त आयामों के साथ जिसमें इकाईओं का विवरण, ग्रीनबेल्ट क्षेत्र, उपयोगिताओं आदि का विवरण जिसमें इन क्षेत्रों के माप आदि भी हो शामिल किये जावे, औद्योगिक क्षेत्र का लेआउट भी प्रदर्शित किया जाये।

10. वैकल्पिक ईधन के रुप में प्राकृतिक गैस (यदि उपलब्ध हो) का उपयोग किया जाना कैसे सुनिश्चित किया जावेगा पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जावे

11. परियोजना स्थल के अंतर्गत स्टॉप डैम, ड्रेन आदि शामिल है अतः इस सन्दर्भ में जल संसाधन विभाग की अनापत्ति एवं सम्बंधित MPPCB/CPCB के निर्देशनुसार उचित उपायों को EIA प्रतिवेदन में शामिल करें।

12. यदि परियोजना स्थल राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य के 10 किमी के दायरे में अधिसूचित इकोसेंसिटिव जोन के भीतर स्थित है, तो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत मंजूरी का आवेदन जो कि वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति को प्रस्तुत किया गया है कि प्रति संलग्न करे।

13. यदि परियोजना स्थल जल निकाय के आसपास है, तो जल निकाय के किनारे से स्थल की ओर 50 मीटर की दूरी को विकास/निर्माण क्षेत्र नहीं माना जाएगा। यदि यह आर्द्रभूमि के निकट है, तो आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 को लागू करने के लिए दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये एवं आवश्यक अनापत्ति प्रमाण सम्बन्धित प्राधिकरण से प्राप्त किया जावे।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष